राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प. 12(2) राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक : 21.8.23

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष,
राजस्थान जयपुर।

आदेश

विषयः– सिविल न्यायिक प्रकरणों में मा. न्यायालयों द्वारा जारी नोटिस/सम्मन की तामील की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप proper receipt दिये जाने के संबंध में।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मा0 मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र क्रमांक Gen./XV/90/2023, दिनांक 31.07.2023, द्वारा एस.बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 11/2017, अहमद खान बनाम आयुक्त, नगर परिषद, सवाई माधोपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2023 के क्रम में यह निर्देश दिये गये हैं कि :–

" You are requested to issue necessary directions to all the concerned officers/officials of Departments of State Government to give proper receipt for service of notices issued by Rajasthan High Court and its District Courts as per provisions of Code of Civil Procedure. Further You are requested to send the compliance report of the same to this office."

अतः राज्य सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशानुसार, यह निर्देशित किया जाता है कि वे उन्हें मा. न्यायालयों द्वारा जारी नोटिस/सम्मन की तामील की proper receipt सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाना सुनिश्चित करावें।

— sd —
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. रजिस्ट्रार (प्रशा0), मा0 रा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र दिनांक 31.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
2. विशेषाधिकारी, मा0 विधि मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

21/8/23
शासन सचिव